(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1589–दो/2014 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 29–3–2014 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 193/2009–10 अपील

1– श्रीमती संगीता मिश्रा पुत्री रामनरेश त्रिपाठी
पत्नि गोविन्द प्रसाद मिश्रा, ग्राम सकरिया
तहसील रघुराजनगर जिला सतना हाल
निवास 190 बहादुर गंज इलाहावाद उ0प्र0
2– श्रीमती शशि द्विवेदी पुत्री रामनरेश त्रिपाठी
पत्नि देवेशकुमार द्विवेदी , संग्राम कालोनी
गली नं. 2 सतना इलाहावाद बैंक के पीछे
सतना जिला सतना मध्य प्रदेश
3– श्रीमती सुमन दुवे पुत्री रामनरेश त्रिपाठी
पत्नि सुरेश दुवे निवासी 84/8 के.एल.कीटगंज
इलाहावाद उत्तर प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र रामनरेश त्रिपाठी
निवासी ग्राम सकरिया तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश
2– श्रीमती विनोदनी शुक्ला पुत्री रामनरेश त्रिपाठी
पत्नि छोटेलाल शुक्ला निवासी ग्राम सकरिया
3– श्रीमती सुकन दुबे पुत्री रामनरेश त्रिपाठी
पत्नि सुरेश दुबे निवासी 84/8 ए के.एल.
कीटगंज इलाहावाद जिला इलाहावाद --अनावेदकगण

(आवेदकगण अभिभाषक श्री कार्तिकेय अग्निहोत्री)
(अनावेदकगण अभिभाषक श्री पुष्पराज सिंह)

आ दे श

(आज दिनॉक02 – 5–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 193/09–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–3–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सॅक्षेप में विवरण इस प्रकार कि स्वर्गीय रामनरेश त्रिपाठी मौजा सकरिया तहसील रघुराजनगर स्थित भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 10.34 एकड़ के भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम सकरिया की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 06 पर आदेश दिनॉक 30-6-2004 से अनावेदक कमांक एक एंव दो का नामान्तरण प्रमाणित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 ने अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने प्रकरण कमांक 8/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-2009 से अपील स्वीकार कर नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 06 पर आदेश दिनॉक 30-6-2004 किया गया नामान्तरण निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार राजनगर को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 193/09-10 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 29-3-2014 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26-2-2009 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर एंव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक से अपेक्षा की गई कि वह एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत कर दें, किन्तु उनकी ओर से तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर एंव आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भूमिस्वामी रामनरेश त्रिपाठी की मृत्यु उपरांत उनके नाम की कुल किता 5 कुल रकबा 10.34 एकड़ भूमि पर ग्राम सकरिया की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 06 पर

आदेश दिनॉक 30-6-2004 से अनावेदक क्रमांक एक एंव दो का नामान्तरण ग्राम पंचायत व्दारा प्रमाणित किया गया। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनॉक 29-3-2014 में की गई विवेचना के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा यह संज्ञान में लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर विचार नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के कब्जे की दखलरहित भूमियां हैं अर्थात उन्होंने वाद विचारित भूमि को अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की दखलरहित भूमि माना है एंव रिस्पा. का विवाह होने के कारण तथा अनावेदक क्रमांक 1 व 2 व्दारा अनावेदक क्रमांक-1 को पूरा हिस्सा दहेज में देने का निष्कर्ष निकाल कर अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है। विचार योग्य है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 व्दारा आवेदक क्र-1 को दहेज देने के कारण क्या पिता की संपत्ति में उसको मिलने वाला हिस्सा समाप्त माना जायेगा। दहेज देना या लेना अपर आयुक्त के न्यायालय में , अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में तथ्य प्रमाणित नहीं है एंव दहेज का लेन-देन उत्तराधिकार अधिनियम को प्रभावित नहीं करता है। अनावेदक क्रमांक 1 एंव 2 मृतक भूमिस्वामी रामनरेश त्रिपाठी का पुत्र एंव पत्नि है जबकि आवेदकगण एंव अनावेदक क्रमांक 3 मृतक रामनरेश की पुत्री हैं एंव तीनों ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनावेदक क्रमांक एक एंव दो की तरह अनुसूची - एक की वारिस हैं।

बृजेन्द्र प्रताप सिंह (मृतक व्दारा वारिसान) बनाम श्रीमती प्रेमलता A.I.R. 2005 इलाहावाद 113 का न्याय दृष्टांत है कि - संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्री एंव विधवा का अॅश - हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत पुत्री को उसके पिता की मृत्यु होने पर पिता की संपत्ति में अॅश प्राप्त होता है, चाहे वह संपत्ति पिता के व्दारा एककी तौर पर अथवा संयुक्त स्वत्व के अधीन धारित हो।

स्पष्ट है कि मृतक रामनरेश त्रिपाठी के आवेदकगण एंव अनावेदकगण अनुसूची - एक के विधिक वारिसान हैं एंव मृतक की भूमि में समान

भाग पर नामान्तरण कराने के अधिकारी है, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 30-6-2004 से मृतक के विधिक वारिसान को छोड़कर मात्र अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का नामान्तरण प्रमाणित करने में तथा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तन कर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेबाजी बढ़ाने का प्रयास करने में भूल की गई है। इसी प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 193/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2014 में विपरीत अर्थ निकालकर मृतक रामनरेश त्रिपाठी के विधिक वारिसानों के हक की अनदेखी की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 8/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-2009 यथावत रखा जाता है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 193/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-3-2014 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण पंजी के सरल कमांक 06पर दिया गया आदेश दिनांक 30-6-2004 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर